संख्या: 551 /चौंतीस-लो0शि-05/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5, **लखनऊ:** **दिनांक 25 अक्टूबर, 2021**

विषय : जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (**IGRS**) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि जनसुनवाई-समाधान प्रणाली पर अधीनस्थों से प्राप्त आख्याओं का रैंडम आधार पर श्रेणीकरण, उच्चाधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या-1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या-540/चौतीस-लो0शि0-05/2021 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त श्रेणीकरण की कार्यवाही अब प्रत्येक माह की 1 तारीख से 25 तारीख तक ही की जा सकेगी। प्रत्येक माह की 26 तारीख से अन्तिम दिवस तक श्रेणीकरण का कार्य नहीं किया जा सकेगा, इस हेतु **IGRS** प्रणाली में व्यवस्था निर्मित कर दी गई है।

3- अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।